स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018-19/ 244 दिनांक : 06/4/18

निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
समस्त जिला कलक्टर्स।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
समस्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
समस्त उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त शिक्षा संभाग।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।

विषय : नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जायेगा –

प्रथम चरण – दिनांक 26.04.2018 से 09.05.2018 तक

द्वितीय चरण – दिनांक 19.06.2018 से 03.07.2018 तक

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नरेश पाल गंगवार) 6/4/18
शासन सचिव

क्रमांक : RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018-19/245 दिनांक : 06/4/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
11. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रमसा।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
14. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियां (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
15. समस्त अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं रमसा।
16. समस्त बीईईओ/पीईईओ।
17. रक्षित पत्रावली।

(आनंदी)
राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

Sd-
(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजथान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश सत्र 2018–19

1. प्रस्तावना

1.1 हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे है, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुंच पाये है अथवा किन्हीं कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये गये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक, एवं अभिभावकों द्वारा दिये गये सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अतः आवश्यकता महसूस की गई कि इसके लिए एक वृहद् कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जाये एवं पूर्ण नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य को अर्जित करने वाली संस्थाओं, संस्थाप्रधानों, शिक्षकों, पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाये।

1.3 इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2018–19 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। ऐसी **पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को "उजियारी पंचायत"** के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा। किसी पंचायत को **"उजियारी पंचायत"** के रूप में चिन्हित करने हेतु निम्न मापदण्डों को आधार बनाया जायेगा–

1.3.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक–बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगंनबाड़ी में नामांकित है।

1.3.2 5–6 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका (आगंनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित/ड्रॉप आउट) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.3.3 कक्षा 5/8/10 उत्तीर्ण अथवा इनकी परीक्षा में प्रविष्ट बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

1.3.4 कोई भी विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।

1.3.5 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

1.3.6 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया गया हैं।

1.3.7 जिन बालक–बालिकाओं ने विशेष शिक्षण प्राप्त कर लिया है वे अपनी आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत है।

1.3.8 ड्रॉप आउट फ्री **'उजियारी पंचायत'** के चिन्हिकरण एवं घोषणा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जावेंगे।

1.4 वर्ष 2017–18 में निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी नामांकन वृद्धि/प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश तथा हाउस होल्ड सर्वे हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जिसके क्रम में हाउस होल्ड सर्वे प्रथम एवं द्वितीय चरण पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे के द्वितीय चरण में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं का रैण्डमली भौतिक सत्यापन भी करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ स्थानों पर सर्वे कार्य नहीं होने/अपूर्ण होने अथवा गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 2018–19 में हाउस होल्ड सर्वे कार्य को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसके लिये वर्ष 2017–18 के यू–डायस प्रपत्र में अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को आधार माना जाकर शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक हैं –

1.4.1 0 से 18 आयुवर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारण किया जाना।

1.4.2 चिन्हित बालक–बालिकाओं के लिये विशेष शिक्षण पश्चात् आयु अनुरूप शिक्षण हेतु विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाना।

1.4.3 5 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं का विद्यालय से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण का पता लगाना एवं ऐसे बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।

1.4.4 5/6 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिये पूर्व से ही कार्य योजना निर्माण।

1.4.5 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक–बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

1.5 उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु **वर्ष 2018–19** में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार **दो चरणों** में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है –

प्रथम चरण – दिनांक 26.04.2018 से 09.05.2018 तक

द्वितीय चरण – दिनांक 19.06.2018 से 03.07.2018 तक

2 प्रवेशोत्सव के दौरान एवं 'उजियारी पंचायत' बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

2.1 विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य

2.1.1 अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं हेतु

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण हेतु विभागीय स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस कार्य के लिये पीईईओ द्वारा अपनी पंचायत के विद्यालयों से वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।

ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक–बालिकाओं की सूची तैयार की जायेगी।

iii. उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन से उपलब्ध परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक–बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचिबद्ध किया जायेगा।

iv. हाउस होल्ड वार 0 से 5 एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं की सूची एवं उनके आंगनबाड़ी/विद्यालयों से जुड़ाव/अनामांकित/ड्रॉप आउट का अंकन किया जायेगा और इन चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची को परिशिष्ट–1 के अनुसार शाला दर्शन/शाला दर्पण पर प्रविष्ट किया जायेगा।

v. हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक–बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार Condensed Course / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर मुख्यधारा में जोड़ा जायेगा।

2.1.2 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यार्थियों को निदेशालय प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थाई तौर पर नामांकित किया जावेगा। (संलग्नक–)

2.1.3 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य

i. ग्रीष्मावकाश से पूर्व एसएमसी/एसडीएमसी की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किये जाने के संबंध में चर्चा की जाये।

ii. बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम के दिन समस्त अभिभावकों एवं अन्य ग्रामवासियों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर **"शिक्षा संगम"** कार्यक्रम का आयोजन किया जावे।

iii. शिक्षा संगम कार्यक्रम में पीईईओ आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के संबंध में अभिभावकों/ग्रामवासियों को प्रेरित करें। इस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पंचायत के प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्बोधन एवं राजकीय अधिकारियों यथा कलक्टर/ एडीएम/ एसडीओ/ बीडीओ/ तहसीलदार/ डीईओ/ एडीपीसी/ सीडीपीओ (आईसीडीएस) आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

iv. शिक्षा संगम कार्यक्रम में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं यथा ट्रासंपोर्ट वाऊचर, लैपटॉप योजना, गार्गी पुरस्कार इत्यादि के संबंध में जानकारी दी जावे।

v. नवीन प्रवेश हेतु पात्र बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित "विद्यालय नामांकन आमंत्रण पत्र" भिजवाये जाकर विद्यालय में नामांकन हेतु आकर्षित/प्रेरित किया जावे।

vi. विद्यार्थियों की टोली बनाकर अभिभावकों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवायी जावे।

vii. विद्यालय में प्रपत्र 1 के अनुसार विलेज एजूकेशन रजिस्टर (VER) संधारित किया जाये, जिसमें 0 से 18 आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनायें अद्यतन रखी जायें।

viii. विद्यालय में अथवा निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावे।

ix. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जावे कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

x. विद्यालय द्वारा अपने फीडर क्षेत्र में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी, नामांकन मार्च, चौपाल, मौहल्ला बैठक आदि के आयोजन, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से ग्राम वासियों को विद्यालय में नामांकन करवाये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

xi. सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा – पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टेण्ड आदि पर चस्पा की जावे।

xii. ग्राम पंचायत की मासिक बैठक (प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख) में भी सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पढ़कर सुनाई जावे।

xiii. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संधारित करना तथा पीईईओ/बीईईओ कार्यालय के माध्यम से शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जावे

xiv. शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में विद्यालय की प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये कक्षा शिक्षण के दौरान रूचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जाये।

xv. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से निम्न स्तर पर है, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 45 दिन तक Bridge Course / remedial Course के माध्यम से कक्षा स्तर पर लाया जायेगा एवं उक्त कार्य विद्यालयों में बीएसटीसी/बीएड इन्टर्न द्वारा तथा बीएसटीसी/बीएड इन्टर्न नहीं होने परं विद्यालयों में तृतीय श्रेणी लेवल–1 अध्यापकों द्वारा करवाया जायेगा।

3. सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व

3.1 हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों संबंधी प्रपत्र 1 व 2 को भरा जावे।

3.2 दोनों प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे जावें एवं कोई कॉलम खाली न रहे।

3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, पुरबा या अस्थाई परिवार सर्वे से वंचित न रहे।

3.4 निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करावें।

3.5 चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूचना शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में पीईईओ कार्यालय को सहयोग करें।

4. पीईईओ स्तर पर किये जाने वाले कार्य

4.1 वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात एवं ग्रीष्मावकाश से पूर्व अपने विद्यालय के अध्यापकों, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

4.2 पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।

4.3 पंचायत के सरपंच/वार्डपंच/प्रबद्ध व्यक्तियों/पंचायत सचिव/कृषि पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जावे।

4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउसहोल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावे।

4.5 नवीनतम डायस प्रपत्र में भरे गये आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या को लक्ष्य के रूप में सर्वे हेतु नियुक्त अध्यापकों को आवंटित किया जावे।

4.6 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जावे।

4.7 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउसहोल्ड का सर्वे किया जाकर सूचियाँ तैयार की जावें। तैयार सूचियों में 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक, 18 वर्ष तक की आयु के बालक–बालिकाओं की सूची अलग–अलग तैयार की जावे।

4.8 सर्वे में चिन्हित बालक–बालिकाओं की विद्यालयवार/वार्डवार एवं ग्रामवार शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

4.9 पंचायत में हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा द्वितीय चरण में चिन्हित बालक–बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावे।

4.10 चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावे तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर मुख्यधारा में जोड़ा जावे एवं विद्यालय स्तर पर इसका पर्यवक्षेण किया जावे।

4.11 अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत् मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

4.12 अपनी पंचायत के प्रत्येक विद्यालय में प्रपत्र 1 के आधार पर विलेज एजूकेशन रजिस्टर (VER) रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन सुनिश्चित किये जाने बाबत समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जावे एवं इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

4.13 अनामाकिंत/ड्रॉप आउट/नवीन प्रवेश हेतु पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार, रैली, प्रभातफेरी, चौपाल, बैनर निर्माण, मौहल्ला, चौराहा बैठकों, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन/नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जावे।

5. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवक्षेण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।

5.2 बैठक में बीडीओ, बीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त पीईईओ एवं उत्कृष्ट संस्थाप्रधानों द्वारा नामांकन/प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम सचिव को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनत्म निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे।

5.4 उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित शिक्षा संगम कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

5.5 शेष सत्र में आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

5.6 नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु पीईईओ द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित बीईईओ द्वारा किये जायेंगे।

5.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे के लिये ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली को आधार माना जाये।

5.8 ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ–साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों, पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं को बीईईओ द्वारा चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जावे।

5.9 हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 18 वर्ष के बालक–बालिकाओं का वार्डवार एवं राजस्व ग्रामवार रिकॉर्ड संधारण किया जावे।

5.10 बीईईओ द्वारा शहरी क्षेत्र में चिन्हित बालक–बालिकाओं को वार्डवार एवं क्षेत्रवार शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.11 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्य टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे एवं वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जावे।

6 जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य

6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवक्षेण जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।

6.2 बैठक में सीईओ जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि एवं माशि, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जन संपर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3 सीईओ जिला परिषद् द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से पंचायत सचिवों को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनत्म निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवायी जावे तथा कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।

6.4 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.5 जिला निष्पादक समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग–अलग स्थानों पर विद्यालयों में आयोजित होने वाले शिक्षा संगम कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

6.6 जिला कलक्टर द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवायी जाये।

6.7 जिला कलक्टर द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे।

7. क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता

7.1 ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित वार्ड के वार्डपंचों/पार्षदों को हाउस होल्ड सर्वे से अवगत कराया जावे तथा सर्वे के दौरान सम्बन्धित वार्ड में नियुक्त अध्यापक उनके संपर्क में रहकर उनका सहयोग प्राप्त करें।

7.2 किये गये सर्वे में चिन्हित बालक–बालिकाओं की सूची से जन प्रतिनिधियों को अवगत करावें।

7.3 यदि कोई घर/बालक बालिका सर्वे/ चिन्हिकरण से वंचित रहा हो तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित संस्थाप्रधान/पीईईओ को अवगत कराकर विद्यालय नामांकन में सहयोग प्रदान करें।

7.4 सम्बन्धित प्रतिनिधियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जावे तथा सम्बन्धित क्षेत्र के अभिभावकों को उनके बच्चों का सम्बन्धित विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित करें।

7.5 नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करने तथा अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन हेतु आयोजित कार्यक्रम में सकारात्मक सहयोग प्रदान करावें।

8. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे।

9. प्रचार–प्रसार

9.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

9.2 प्रचार–प्रसार के लिये मीडिया माध्यमों – प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे तथा यथा सम्भव प्रत्येक दिन जिले में कार्यक्रम प्रगति के संबंध में समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करावें और इसके संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला जन संपर्क अधिकारी के साथ निरन्तर संपर्क रखा जावे।

9.3 नामांकन बढ़ोतरी/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से पूर्व जिला स्तर पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रेंस कॉन्फ्रेंस की जाकर जिले के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया जावे।

9.4 अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाये जायें।

9.5 विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक परिषद् की बैठक की जाकर सहभागियों को नामांकन में सहयोग बाबत प्रेरित किया जावे।

9.6 स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों/बच्चों के साथ रैली का आयोजन किया जायें।

9.7 मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुये बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जावे।

9.8 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान "नामांकन कार्यक्रम" को केन्द्र में रखकर विद्यालय में बालसभा, खेलकूद प्रतियोगिताऐं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जावे।

९५६४

9.9 प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया जाकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे।

9.10 क्षेत्र की आंगनबाड़ियों पर "माँ सम्मेलन" का आयोजन किया जाकर आंगनबाड़ी में नामांकित विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चों की माताओं को बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

10. सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों को प्रोत्साहन

10.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।

10.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कम से कम एक संस्थाप्रधान/शिक्षक को उपखण्ड स्तर पर उक्त दिवसों में सम्मानित किया जावे।

10.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कम से कम तीन संस्थाप्रधानों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।

10.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कम से कम एक संस्था प्रधान को प्रत्येक संभाग से सम्मानित किया जावे।

10.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा और इस बाबत परिषद् द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

(सुरेश चन्द्र)
अति. आयुक्त, राप्राशिप
एवं अति. राज्य परियोजना निदेशक, रमसा